

## प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 19.04.2024 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-260/23 धारा 363/366/376(2) भादवि व 5एल/6 पास्को एक्ट में वांछित अभियुक्त अंकित कुमार पुत्र संतोष उर्फ सुरेश कुमार निवासी भगवतीनगर कस्वा पुखरायां थाना भोगनीपुर कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रुरा पुलिस द्वारा अभियुक्त शीलू पुत्र विजय बहादुर सिंह गौर निवासी ग्राम गेन्दामऊ थाना रुरा जनपद कानपुर देहात अभियुक्त के कब्जे से 20 अदद टेप्रा पाउच अवैध देशी शराब बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 137/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रुरा पुलिस द्वारा अभियुक्त लक्ष्मी नारायण पुत्र रामौतार कश्यप निवासी ग्राम गेन्दामऊ थाना रुरा जनपद कानपुर देहात अभियुक्त के कब्जे से 20 अदद टेप्रा पाउच अवैध देशी शराब बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 138/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त सईम पुत्र मोहम्मद नसीम निवासी मोहल्ला कटरा थाना भोगनीपुर कानपुर देहात अभियुक्त के कब्जे से एक अदद नाजायज 3 तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 122/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना बरौर पुलिस द्वारा अभियुक्त सुदीप पुत्र महेन्द्र सिंह यादव निवासी महोलिया थाना बरौर कानपुर देहात अभियुक्त के कब्जे से 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 33/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 12 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना राजपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना बरौर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना डेरापुर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों का धारा 151/107/116 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत चालान किया।